विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय
मध्यप्रदेश– भोपाल

क्रमांक: विशां/4/एच ए/2018–14/ 1048 दिनांक 25/07/2018

प्रति,

उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर/ग्रामीण)
इन्दौर/भोपाल, म.प्र.।

समस्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल)
मध्यप्रदेश।

विषयः "मॉब लिचिंग"की घटनाओं अथवा भीड़ द्वारा अन्य कारणों से दुष्प्रेरित होकर की जाने वाली हिंसात्मक घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही करने बाबत।

संदर्भः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपी (सिविल) 754/2016 में पारित निर्णय, दिनांक 17 जुलाई 2018, भारत शासन गृह मंत्रालय का परिपत्र कमांक 11034/54/2018–IS.IV दिनांक 23 जुलाई, 2018 एवं इस कार्यलय का पत्र क्रमांक विशा/23/सेक/2018–12/494/दिनांक 7.7.2018.

विगत कुछ माहों में देश के विभिन्न राज्यों में बच्चा चोरी गैंग के सक्रिय होने की अफवाह सोशल मीडिया व विभिन्न माध्यमों से तीव्रगति से फैलने तथा अफवाह के फलस्वरूप देश के अनेक राज्यों में भीड़ द्वारा निरपराध लोगों की पीट–पीटकर हत्या करने अथवा गंभीर रूप से घायल करने की घटनायें कारित की गईं। कथित गौरक्षक सेवादल (Cow Vigilante Group) एवं अन्य अनेक कारणों से दुष्प्रेरित होकर अनियंत्रित उन्मादी भीड़ द्वारा निर्दोष नागरिकों के साथ हिंसा कर हत्या करने की घटनायें भी कारित की गईं।

मॉब लिचिंग की इन घटनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अत्यंत गंभीर रूख अपनाते हुये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपी (सिविल) 754/2016 में पारित निर्णय, दिनांक 17 जुलाई 2018 के अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आपके क्षेत्रांतर्गत "मॉब लिचिंग" की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेः

1. जिले में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल ऑफीसर नियुक्त किया जाता है, जिनके सहायतार्थ जिले का एक उप पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी होगा, जो अपने जिले में मॉब वायलेंस/मॉब लिचिंग की घटनाओं को रोकने व उन पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिये उत्तरदायी होगा। पुलिस अधीक्षक नियमित रूप से क्राईम मीटिंग में इस संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक कार्यवाही कराते रहेंगे।

2. नोडल ऑफीसर एक टास्क फोर्स गठित करेगा जो उकसाने वाले, भ्रमाक समाचारों, भाषणों, अफवाहों, सोशल साइट्स के कमेंट्स, समुदायों के बीच घृणा फैलाने वाले संदेशों पर नजर रखेगा व ऐसी सूचना से अपने नोडल ऑफीसर को अवगत करायेगा।

3. मध्यप्रदेश में अवैध पशु परिवहन/गौकशी की घटनाओं की ज्यादा संभावना वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर पत्र क्र. विशा/4/एचए/2015–14/686 दिनांक 10.8.2015 के द्वारा अवगत कराया गया है, जिन पर सावधानीपूर्वक निगाह रखी जाने की आवश्यकता है। समसंख्यक पत्र क्रमांक 290, दिनांक 16.3.2018 द्वारा उल्लेखित संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जावे। इसके साथ ही साथ थाना प्रभारीगण जहां पूर्व में "मॉब लिचिंग" की घटनायें हो चुकी हैं/संभावित हो सकती है को चिन्हित करें।

4. सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से फैलने वाली अफवाहों पर सतर्कता बरतते हुये सतत निगाह रखने व प्रभावी आसूचना संकलन करने हेतु जिले के प्रत्येक अधिकारी एवं थाना प्रभारी को निर्देशित किया जावे। प्रतिमाह पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बंधित अधिकारियों, थाना प्रभारियों व चौकी प्रभारियों की बैठक कर ट्रेण्ड ज्ञात किये जावें। साथ ही इस टास्क फोर्स में थानों में आसूचना संकलन करने वाले अधिकारियों से सतत समन्वय बनाये रख कर सूचनायें संकलित करेंगे।

5. किसी क्षेत्र विशेष अथवा थानान्तर्गत इस प्रकार की घटनाओं के घटित होने अथवा कारित करने का प्रयास करने पर विशेष सतर्कता बरतते हुये प्रभावी प्रतिबंधात्मक/वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। सोशल मीडिया/प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया अथवा किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किसी भी प्रकार का भ्रामक संदेश/वीडियो/अफवाह फैलाने पर सम्बंधितों के विरूद्ध धारा 153ए, भादंवि अथवा अन्य धाराओं में त्वरित कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

6. अफवाहों को लेकर भीड़तंत्र द्वारा हिंसा कारित करने की सूचना अथवा हिंसा कारित करने की प्रवृत्ति वाले गैरकानूनी जमाव पर धारा 129 दंप्रसं अथवा अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार प्रभावी बल प्रयोग, ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु किया जावे। ?

7. जिस अधिकारी के प्राधिकार क्षेत्र में इस प्रकार की घटनायें होती हैं, इन घटनाओं को रोकने में, आसूचना संकलन में, कालांतर में प्रभावी अनुसंधान कर आरोपियों को दण्डित करवाने में, किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर सम्बंधित अधिकारी विभागीय कार्यवाही का भागी होगा।

8. थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में घटित "मॉब लिचिंग" की घटना के समबंध में तत्काल पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों को अवगत करायेंगे व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे। पुलिस अधीक्षक व अन्य पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रकरणों का सतत पर्यवेक्षण कर समुचित साक्ष्य संकलन व विधिक प्रावधानों के अनुरूप विवेचना पूर्ण कराने व अभियोग पत्र निर्धारित समय में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जायेगा। पीड़ित पक्ष के परिजनों को किसी अन्य तरह से परेशान न किया जावे, यह भी सुनिश्चित किया जावे। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न दिशा निर्देशों सहित निम्न दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित कराया जावे :

"Wherever it is found that a police officer or an officer of the district administration has failed to comply with the aforesaid directions in order to prevent and/or investigate and/or facilitate expeditious trial of any crime of mob violence and lynching, the same shall be considered as an act of deliberate negligence and/or misconduct for which appropriate action must be taken against him/her and not limited to departmental action under the service rules. The departmental action shall be taken to its logical conclusion preferably within six months by the authority of the first instance."

9. इन घटनाओं को रोकने के लिये जिला, ग्राम, अनुभाग, थाना, मोहल्ला आदि स्तरों पर स्थानीय प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल ग्रुप, एनजीओ व अन्य विभागों से समन्वय कर, लोगों को जागरूक कर घटनाओं को रोकने नियंत्रित करने व इन घटनाओं को हतोत्साहित करने के हरसंभव उपाय सुनिश्चित किये जावें।

10. गश्ती दल, वीट प्रभारी, डॉयल 100, मोबाइल पार्टी आदि को सेंसटाईज किया जावे व इस प्रकार की किसी भी घटना की सूचना पर त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जावे। जिला नियंत्रण कक्ष इस प्रकार की घटनायें होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावेंगे।

सुलभ संदर्भ हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपी (सिविल) 754/2016 में पारित निर्णय, दिनांक 17 जुलाई 2018 की प्रतिलिपि संलग्न है। जोनल पुलिस महानिरीक्षक व उप पुलिस महानिरीक्षक अपने अधीनस्थ क्षेत्र में निर्देशानुसार पालन करावें तथा 10 दिवस में पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. अमनि/पुमनि, इन्दौर जोन, इंदौर।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
3. समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।

– कृपया इस संबंध में नियमित रूप से अन्तर्जिला, अन्तर्रीजन एवं अन्तर्राज्यीय को–आर्डीनेशन की बैठकें आयोजित कर समन्वय बनाये रखना सुनिश्चित करावेंगे।

4. समस्त जोनल पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, मध्यप्रदेश।
5. निस–पुलिस महानिदेशक, म.प्र.की ओर सूचनार्थ।
6. प्रभारी अभिलेख विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय, म.प्र. भोपाल।

पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश